न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7, कानपुर देहात।

सत्र वाद सं०- 189/ 2025

सरकार. . . . . बनाम. . . . . **शमशाद।**

अ०सं०- 840/ 2019

धारा- 120B, 307, 427 भा०दं०सं०

थाना- अकबरपुर, **जिला**- कानपुर देहात।

दिनांकः 05. 12. 2025

सत्र वाद सं०- 189/ 2025 सरकार बनाम शमशाद की पत्रावली प्रस्तुत हुयी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त शमशाद के द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि मु०अ०सं०- 840/ 2019 में **प्रथम आरोप पत्र सं०- 38/ 2020 दिनांकित 12. 01. 2020** सत्र वा० सं०- 491/ 2020 में आया था जिसमें कि अभियुक्तगण सलमान, विजय गुप्ता, शिवम अग्निहोत्री, कपिल, बामिक अली, निसार, अभिमन्यु सिंह यादव, शाहरूख पुत्र गुलसनोवर, मोसिन, शाहरूख पुत्र ताहिर, सद्दाम, सलीम व नासिर के सन्दर्भ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा अभियुक्तगण निलम्बित आरक्षी गौरव कुमार व शमशाद के विरूद्ध विवेचना प्रचलित थी। पुनः अभियुक्त निलम्बित आरक्षी गौरव कुमार के विरूद्ध **आरोप पत्र सं०- 38A/ 2020 दिनांकित 31. 01. 2020,** अन्तर्गत धारा- 119, 120B भा०दं०सं० प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध विवेचना प्रचलित दिखायी गयी। तत्पश्चात् अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध **आरोप पत्र सं०- 38B/ 2020 दिनांकित 25. 10. 2024** को अन्तर्गत धारा- 307, 427, 119, 120B भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया था जिससे संबंधित सत्र वाद सं०- 189/ 2025 न्यायालय में विद्यमान है। सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 18. 01. 2025 के माध्यम से मामला सुपुर्द किया गया है। अतः सत्र वाद सं०- 491/ 2020 में अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध एन०बी०डब्ल्यू० 82/ 83 दं०प्र०सं० विद्यमान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त शमशाद न्यायालय में उपस्थित है तथा इसी प्रकरण में उसका विचारण सत्र वाद सं०- 189/ 2025 की पत्रावली में चल रहा है।

इस सन्दर्भ में रीडर की रिपोर्ट अवलोकित की गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम आरोप पत्र सं०- 38/ 2020 दिनांकित 12. 01. 2020 के आलोक में अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध आरोप पत्र सं०- 38B/ 2020 के माध्यम से दिनांक 25. 10. 2024 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 18. 01. 2025 को शमशाद का मामला सत्र सुपुर्द किया गया था। यद्यपि सत्र वाद सं०- 491/ 2020 के सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 26. 02. 2020 में शमशाद का नाम अंकित है, लेकिन अभियुक्त शमशाद का कोई भी हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त शमशाद के सन्दर्भ में मात्र 119, 120B भा०दं०सं० से संबंधित प्रकरण ही सुपुर्द किये जाने का आदेश किया गया था। वर्तमान में आदेश दिनांकित 18. 01. 2025 के माध्यम से अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध मु०अ०सं०- 840/ 2019, अन्तर्गत धारा- 307, 427, 119, 120B भा०दं०सं० का प्रकरण सत्र सुपुर्द किया गया

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2025.12.05 17:04:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है तथा इससे संबंधित सत्र वाद सं०- 189/ 2025 न्यायालय में विद्यमान है। इस प्रकार से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गयी मौखिक सूचना सही है। सहवन सत्र वाद सं०- 491/ 2020 में अभियुक्त शमशाद के विरूद्ध पारित एन०बी०डब्ल्यू० 82/ 83 दं०प्र०सं० का आदेश चलायमान रहने योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त शमशाद सत्र वाद सं०- 189/ 2025 की पत्रावली में उपस्थित आ रहा है।

रीडर को आदेशित किया जाता है कि ऑर्डर शीट पर सभी अभियुक्तगण का नाम इन्द्राज कर उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति को सही प्रकार से अंकित करें तथा उसी के अनुरूप प्रोसेस का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करवायें। प्रस्तुत प्रकरण में मात्र अभियुक्त सद्दाम, फरमान व सलमान के विरूद्ध एन०बी०डब्ल्यू० 82/ 83 दं०प्र०सं० का आदेश विद्यमान है। पैरोकार के द्वारा उक्त अभियुक्तगण से संबंधित प्रोसेस पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। रीडर प्रोसेस को Index करें। पैरोकार का बयान लेखबद्ध हो। बाद पैरोकार का बयान अभियुक्तगण सद्दाम, फरमान व सलमान के विरूद्ध धारा- 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसारित की जाती है। अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जाता है।

दिनांकः 05. 12. 2025 **(अपर्णा त्रिपाठी- प्रथम)**

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7,

कानपुर देहात

JO Code: 1628